IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियंता–संयुक्त निदेशक, मेरठ

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

सेक्टर–9, आफिस कॉम्पलैक्स, शास्त्रीनगर, मेरठ।

भारतीय मानक ब्यूरोIS 15700

पत्रांकः 2129 / 10/12/90 दिनांकः 22/10/2020

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न भवन निर्माण कार्यों हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में "वांछित श्रेणी" में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से टू–बिड पद्धति पर ऑनलाईन स्पर्धात्मक निविदायें निम्न वर्णित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत आमन्त्रित की जाती हैं जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–परियोजना प्रबन्धक उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खोली जाएगी। आमंत्रण की विस्तृत सूचना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाईट www.upavp.in तथा http://etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहें, किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना उक्त वेबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। प्री–क्वालीफाईंग बिड में प्राप्त निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन के उपरान्त अर्ह निविदादाताओं की फाईनेन्शियल बिड तिथि निर्धारित कर खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू0 में)	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क तथा धरोहर धनराशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जनपद शामली के थाना भवन में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य। (सिविल)	580.00 लाख	11.60 लाख	18 माह	8850+ जी0एस0 टी0 18%	23.10.20	20.11.2020 अपरान्ह 04:00 बजे तक	ग्रुप–ए, श्रेणी–1 में पंजीकृत	टू–बिड	निर्माण खण्ड–नि0 ई0 मेरठ–04, सहारनपुर
2	जनपद मेरठ के हस्तिनापुर में राजकीय महाविद्यालय का नर्माण कार्य। (सिविल)	580.00 लाख	11.60 लाख	18 माह	8850+ जी0एस0 टी0 18%	23.10.20	20.11.2020 अपरान्ह 04:00 बजे तक	ग्रुप–ए, श्रेणी–1 में पंजीकृत	टू–बिड	निर्माण खण्ड–नि0 ई0 मेरठ–02, मेरठ

नियम व शर्तें :–

1. निविदा से संबंधित धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में हस्तान्तरित होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
2. धरोहर धनराशि जमा करने हेतु विवरण निम्नवत् है :–

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियंता–परियोजना प्रबन्धक निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर।	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रेलवे रोड़, सहारनपुर।	306502010092168	UBIN0530654
अधिशासी अभियंता–परियोजना प्रबन्धक निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	पंजाब नैशनल बैंक, सै0–2, शास्त्रीनगर, मेरठ	4009000100179980	PUNB0400900

3. महत्वपूर्ण तिथियाँ :–

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	23.10.2020	–
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि	03.11.2020	सांय 4:00 बजे से
3	प्री–बिड मीटिंग का तिथि, समय	18.11.2020	पूर्वान्ह 11:00 बजे
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	20.11.2020	सांय 4:00 बजे तक
5	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 की अन्तिम तिथि	20.11.2020	सांय 4:00 बजे तक
6	प्री–बिड खोलने की तिथि एवं समय	23.11.2020	पूर्वान्ह 12:00 बजे
7	क्रम सं0–1 के कार्य हेतु प्री–बिड मीटिंग का स्थान	कार्यालय अधिशासी अभियंता–परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर।	
8	क्रम सं0–2 के कार्य हेतु प्री–बिड मीटिंग का स्थान	कार्यालय अधिशासी अभियंता–परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	
9	फाईनेन्शियल निविदा खोले जाने की तिथि		निर्णय के अनुसार।

4. फर्म/ठेकेदार का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगी।
5. निविदादाता को विगत् 03 वर्षों में समान प्रकृति एवं क्षमता के कार्य कराने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
6. निविदादाता फर्म का आयकर विभाग/श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उसके सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस टैक्स एवं अन्य कोई कर जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
7. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध में पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी एफ0डी0आर/सी0डी0आर0 के रूप में क्रम सं0–1 के कार्य हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर एवं क्रम सं0–2 के कार्य हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के पक्ष में बनाकर जमा करनी होगी।
8. निविदा के साथ दरों के 03 माह की वैधता हेतु रु0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0–1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर एवं हस्ताक्षर कर शपथ–पत्र देना होगा।
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में निविदा मूल्य के परिपेक्ष्य व अन्य धनराशि जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, के बराबर मूल्य के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र देना होगा।
10. किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लेखित तिथियों में अवकाश हो जाने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
11. सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आई0एस0 कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विशिष्टियो के अनुसार ही कराये जायेंगे तथा उ0प्र0 शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिल्टी अवधि 03 वर्ष होगी।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि नियमानुसार जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेंजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् 01 सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता को प्रत्येक ई–निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रपत्र (टी–4, टी–5, टी–6) की स्कैन की प्रति ऑनलाई जमा करना अनिवार्य होगा।

18. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप से देय होगी।
19. जी0पी0डब्ल्यू0, फार्म–9 के क्लॉज–40 अनुसार कार्य की कुल लागत की 2.00 प्रतिशत की धनराशि वारण्टी के रूप में 03 वर्षों तक रोकी जायेगी।
20. जी0पी0डब्ल्यू0, फार्म–9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
21. शासनादेश संख्या–622/231–12–2012–2/आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.12 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध गठित करने से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य होगी।

    (क)– 10 प्रतिशत तक Below दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर के लिए।

    (ख)– 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर के लिए।
22. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके संबंध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. कार्य की अवधि में किसी भी सड़क/सार्वजनिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा एकत्र की गयी निर्माण सामग्री अथवा अन्य कारणों से पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत उत्पन्न व्यवधान से किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही हेतु ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
25. निर्माण कार्य के सम्पादन के समय कार्यस्थल के आस–पास के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा में किसी भी प्रकार क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का शपथ–पत्र रू0 100/– के स्टॉप पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
26. निर्माण कार्य हेतु बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का माईल स्टोन/बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न कराना होगा तथा रू0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बार चार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ–पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
27. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य न होगा।
28. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कॉपी स्वीकार न होगी। निविदादाता के डाउनलोड प्रपत्र अपठनीय होने पर मूल प्रति के साथ छायाप्रति वांछित होगी।
29. समस्त निर्माण कार्य संबंधित विभाग को हस्तगत कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार/फर्म का होगा।
30. स्थानीय स्तर पर प्रशासन अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माण सामग्री की जाँच करे जाने पर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बाहरी एजेन्सी से निर्माण सामाग्री परीक्षण कराये जाने पर होने वाला व्यय ठेकेदार/फर्म द्वारा व्यय किया जाएगा।
31. शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट आदि पर दी गयी रायल्टी के भुगतानों में चालान/रवन्ना आदेश की प्रति बीजक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की कटौती की जाएगी।
32. ई–टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।
33. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेगी।
34. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु निर्माण स्थल पर लायी गयी सामाग्रियों की आपूर्ति व ई0एम0एम0–11 प्रस्तुत करनी होगी तथा रायल्टी के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश लागू होगें।
35. शासनादेश सं0–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.15 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करती है तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जायेगी।
36. कमांक–1 व 2 पर अंकित कार्य में प्रयुक्त सामाग्री के परीक्षण हेतु स्थल पर फर्म को अपने व्यय पर प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी।

अधीक्षण अभियन्ता–संयुक्त निदेशक

पृ0 सं0 2129 /उक्त/ दिनांक

प्रतिलिपिः–**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निदेशक ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सैल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता–सुयक्त निदेशक, वाराणसी/आगरा/कानपुर/रुहेलखण्ड/आगरा/गाजियाबाद/बागपत/वृन्दावन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. इंचार्ज, कम्पयूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियंता–परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई मेरठ–01/02/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. संगणक/सहा0अभि0, अधीक्षण अभियन्ता–संयुक्त निदेशक कार्यालय, मेरठ।
6. नोटिस बोर्ड।
7. समाचार पत्र हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता–संयुक्त निदेशक